

अज अदालत .....  
 मुकाम .....  
 बनाम .....  
 करम मुकदमा ..... नं. .... सन् .....

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम की में जा
---------------	-----------------------------------	-------------------------------------

21-12-23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अ.धा.1364 RA पर बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन इस है कि मौजा राय पुरिया फ.ह.गोपालपुरा की खाता सं 2 मे स्थित आराजी सं. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, कुल किता- 26 कुल रकबा 7.6300 है. भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी गण की संयुक्त खाते दारी की कृषि आराजीयात है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थीया का 1/25 हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के पिता मोती सिंह पिता गोविन्द सिंह राजयूत के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा खोले गये नामान्तरण सं. 6 दिनांक 15-10-2001 मे बिना तथ्यों की जानकारी किये चैना कंवर पुत्री मोती राजयूत के बजाय प्रार्थीया के परिवार मे बोलता नाम शंकर कंवर पुत्री मोती सिंह जी अंकित कर दिया है जो राजस्व कर्मचारियों के लिपिकीय भूल है। जिसे राजस्व रिकार्ड मे अंकित नाम शंकर कंवर के बजाय वास्तविक नाम चैना कंवर पुत्री मोती सिंह राजयूत अंकित किया जावे।

प्रकरण मे वकील प्रार्थी को एक तरफा बहस सूनी गई एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज कार्यलय ग्राम पंचायत गोपालपुरा का प्रमाण पत्र; पेन कार्ड राशन कार्ड, मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्ड आधार कार्ड जन आधार कार्ड का अवलोकन किया गया इन सभी दस्तावेज मे प्रार्थीया का नाम चैना कंवर पुत्री मोती सिंह राजयूत नि. राय पुरिया दर्ज अंकित है। जिसे एम सुधारा जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ.धा.1364 RA का स्थिति

किया जाता है। उक्त...

तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
जो इस  
में ज

29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
44, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, कुल  
किता. 26 कुल रकवा 7.6300 है. भूमि मे क्र.स. 18  
पर दर्ज अंकित नाम शंकर कंवर पुत्री मोती सिंह  
राजपूत के बजाय चैना कंवर पुत्री मोती सिंह  
किये राजस्व रेकार्ड मे किये जाने के आदेश दिये  
जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार बेंगूर को  
पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फौसल शुमार  
होकर नम्बर से कम है।